

THE UTTAR PRADESH BHOOMI EVAM JAL SANRAKSHAN
ADHINIYAM, 1963
[U. P. Act No. XVI of 1963]

CHAPTER-I
Preliminary

- 1- Short title and Commencement.
- 2- Definition

CHAPTER-II
Administrative Machinery

- 3- Establishment and constitution of the board
- 4- Term of members
- 5- Function of the board
- 6- Establishment and constitution of Zila Samiti's
- 7- Function of Zila Samiti
- 8- Bhoomi Sanrakshan Adhikari

CHAPTER -III
Preparation of soil and water conservation plan

- 9- Preparations of Soil and Water Conservation Plan
- 10- Consideration and approval of the plan
- 11- Technical aspect of the plan
- 12- Publication of the plan
- 13- Subsequent changes and correction of error in the plan

CHAPTER -IV
Taking temporary possession of land and payment of
Compensation

- 14- Order for taking temporary possession of land
- 15- Taking possession of land
- 16- Compensation for period of possession
- 17- Restoration of possession

CHAPTER -V
Execution of the plan

- 18- Direction to execute work
- 19- Bhoomi Sanrakshan Adhikari to make progress report
- 20- Entry of rights and liabilities in revenue records
- 21- Discharge of liabilities

CHAPTER -VI
Preventive action and penalties

- 22- Prevention of action prejudicial to soil and water conservation
- 23- Penalties

CHAPTER -VII

Miscellaneous

- 24- Proceedings under the Act
- 25- Vacancy of defect in constitution not to invalidate proceeding
- 26- Decision by majority
- 27- Power to enter, etc.
- 28- Registration of documents Act No. XVI of 1908
- 29- Public access to documents and maps
- 30- Determinations and orders to be final
- 31- Suit or legal proceeding not to lie for acts done in good faith
- 32- Provisions of this act to prevail
- 33- Power to make rules

THE UTTAR PRADESH BHOOMI EVAM JAL SANRAKSHAN
ADHINIYAM, 1963¹

[U. P. Act No. XVI of 1963]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 28, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 10, 1963.]

Received the assent of the President on May 23, 1963 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated May 29, 1963.]

AN

ACT

to amend and consolidate the law relating to the conservation and improvement of soil and water resources in the Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

**Short title, and
commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Bhoomi Evam Jal Sanrakshan Adhiniyam, 1963.

(2) It shall come into force at once in the district mentioned in the First Schedule. In the remaining districts² it shall come into force such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different districts.

1. For statement of objects and Reasons, see U. P. Gazette Extraordinary, dated 29 May 1963.

2. Districts mentioned in the Schedule of section 1 (sub-section 2)–

Sr. No.	Name of Districts	No. and date of Govt. Notification
1.	Agra	U. P. Bhoomi Evam Jal Sanrakshan Adhiniyam 1963, U. P. Act No. XVI of 1963.
2.	Fatehpur	
3.	Hamirpur	
4.	Jalaun	
5.	Jhansi	
6.	Mathura	
7.	Mirzapur	
8.	Pratapgarh	
9.	Sultanpur	
10.	Tehri Garhwal	
11.	Lucknow	
12.	Sitapur	
13.	Farrukhabad	
14.	Allahabad	
15.	Banda	
16.	Meerut	
17.	Varanasi	No. H-4335/XII-1500/1963 dated Aug. 2, 1963 Vide this notification Designation of D. S. G. O. became B. S. A. of the 1st 16 districts noted in the Act. No. H-5299/XII-B-1489/1963 dated Aug. 29, 1963. No. H-334/XII-B-1141/62 dated March 11, 1964. No. H-1549/XII-B-1489/63 dated April 15, 1963.
18.	Kanpur	
19.	Uttar Kashi	
20.	Bulandshahar	
21.	Dehradun	
22.	Saharanpur	
23.	Muzaffarnagar	
24.	Etawah	
25.	Unnao	
26.	Ghazipur	
27.	Azamgarh	No. H-4594/XII-B dated September 22, 1964.
28.	Jaunpur	
29.	Rae Bareli	
30.	Aligarh	

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(1) “beneficiary” in relation to any land benefited or likely to be benefited by the execution of a plan means—

(a) in the case of land held by a bhumidhar or sirdar, such bhumidhar or sirdar ; and

(b) in any other case, an owner, holder or occupier of the land whom the Bhoomi Sanrakshan Adhikari, in view of the nature of his interest in the land and the benefits or likely benefits to the land from the execution of the plan, declares in the prescribed manner to be the beneficiary, and includes the successor-in-interest of a beneficiary ;

(2) “ Bhoomi Sanrakshan Adhikari” means an officer appointed under section 8 ;

(3) “Board” means the Bhoomi Evam Jal Sanrakshan Board established under section 3;

(4) “Chairman” means the Chairman of the Board ;

(5) “Collector” except for the purposes of section 6, includes an Additional Collector;

(6) “Commissioner” includes an Additional Commissioner ;

(7) “Director” means the Director of Agriculture, Uttar Pradesh, and includes an Additional Director of Agriculture, Uttar Pradesh;

**U. P. Act
No. XXXIII of
1961**

(8) “Khand” means any area specified as such by the State Government under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961;

Continued from previous page.....

31.	Mainpuri	No. H-1476/XII-B-1500/63 dated May 25, 1967.
32.	Deoria	
33.	Gorakhpur	
34.	Basti	No. H-4594/XII-B dated September 22, 1964.
35.	Gonda	
36.	Bahraich	
37.	Faizabad	No. H-317/XII-B-1500/1963 dated March 21, 1967.
38.	Pauri Garhwal	
39.	Ballia	
40.	Bara Banki	No. H-3636/XII-B-1500/1963 dated Nov. 27, 1968.
41.	Almora	
42.	Etah	
43.	Moradabad	No. H-5885/XII-B-1228/69 dated Dec. 29, 1971.
44.	Bareilly	
45.	Bijnor	
46.	Rampur	
47.	Shahjahanpur	
48.	Chamoli	
49.	Nainital	
50.	Pilibhit	
51.	Budaun	
52.	Hardoi	
53.	Lakhimpur Kheri	
54.	Pithoragarh	

(9) “plan” means a plan prepared under this Act ;

(10) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act ;

(11) “schedule” means a schedule to this Act ;

(12) “soil and water conservation” means reclamation, maintenance and improvement of soil and water resources and includes any of the measures mentioned in the second schedule ;

(13) “Secretary” means the Secretary of the Board ;

(14) “State” means the State of Uttar Pradesh ;

(15) “work” means any work carried out or to be carried out under a plan and includes pasture or forest provided for or raised under the plan ;

(16) “Zila Samiti” means the Zila Bhoomi Evam Jal Sanrakshan Samiti established under section 6 ;

**U. P. Act no. I
of 1951.**

(17) The expressions “Bhumidhar” and “Sirdar” shall have the meanings assigned to them in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

CHAPTER-II

Administrative Machinery

**Establishment
and
constitution
of the Board**

3. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, there shall be established by the State Government, by notification in the *Gazette* a Bhoomi Evam Jal Sanrakshan Board of the State.

(2) The Board shall consist of the following members :—

(a) the Minister-in-charge of the Agriculture department, who shall also be the Chairman;

(b) not more than three of the Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, to be appointed by the State Government ;

(c) Secretary to the State Government in the Agriculture department ;

(d) the Director of Agriculture, Uttar Pradesh, who shall also be the Secretary ;

(e) four members of the Vidhan Sabha and two members of the Vidhan Parishad to be chosen by the Vidhan Sabha or the Vidhan Parishad, as the case may be ;

(f) members not exceeding five, to be appointed by the State Government ; and

(g) members not exceeding five, to be co-opted by the members referred to in (a) to (f).

**Term of
members**

4. (1) The term of a member referred to in clause (f) or clause (g) of sub-section (2) of section 3 shall be two years.

(2) When a member ceases to hold the office by virtue of which he became eligible for the membership of the Board, he shall cease to be such member.

**Functions
of Board**

5. The functions of the Board shall be—

(a) to lay down policies for soil and water conservation ;

(b) to devise ways and means for co-ordinating the work under the plans and for eliminating the difficulties in relation thereto ;

(c) to scrutinize the progress made under the plans ; and

(d) to perform such other functions as may be specified by or under this Act.

**Establishment
and
constitution
of Zila Samitis**

6. (1) There shall be established in the prescribed manner for each district a Zila Bhoomi Evam Jal Sanrakshan Samiti.

(2) The Zila Samiti shall consist of—

- (a) the Collector who shall also be the Chairman thereof ;
- (b) the Adhyaksha of the Antarim Zila Parishad or Zila Parishad;
- (c) members of the Legislative Assembly whose constituencies include any part of the district ;
- (d) the officer-in-charge of the work of the Planning Department in the District ;
- (e) the District Agriculture Officer ;
- (f) the Bhoomi Sanrakshan Adhikari, who shall also be the Secretary of the Zila Samiti ;
- (g) the Executive Engineers of the Irrigation Department exercising jurisdiction in the district or any part thereof ;
- (h) the Divisional Forest Officers exercising jurisdiction in the district or any part thereof ;
- (i) the Pramukhs of the Kshettra Samities in the district ;
- and
- (j) not more than one person interested in soil and water conservation appointed by the Collector annually:

Provided that the member of the Legislative Assembly, an Executive Engineer, a Divisional Forest Officer or a Pramukh shall have a right of participation in only such proceedings of the Zila Samiti as relate to a plan covering an area from which he was elected as a member or in which he exercises jurisdiction as such Engineer, Officer or Pramukh, as the case may be.

(3) Any dispute as to the membership or right of participation in the proceedings of a Zila Samiti shall be decided by the Chairman thereof whose decision in the matter shall be final.

**Functions of
Zila Samiti**

7. The functions of the Zila Samiti shall be—

- (a) to take steps to educate people in soil and water conservation;
- (b) to direct the Bhoomi Sanrakshan Adhikari to make survey, collect data and prepare plans for the district or any part thereof and to perform functions incidental thereto ;
- (c) to consider and approve the plans so prepared ;
- (d) to take steps to ensure proper execution of the plans and to watch the progress of work thereunder ;
- (e) to make recommendations to the State Government for securing efficient execution of the plans ;
- (f) to carry out the directions issued by the State Government from time to time with regard to a plan ; and
- (g) to perform such other functions as may be specified by or under this Act.

**Bhoomi
Sanrakshan
Adhikari**

8. (1) The State Government shall appoint for every district a Bhoomi Sanrakshan Adhikari :

Provided that one person may be appointed to be Bhoomi Sanrakshan Adhikari for more than one district or more than one person may be appointed to be Bhoomi Sanrakshan Adhikari in the same district.

(2) The Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall execute the plans and perform such other functions as may be specified by or under this Act.

CHAPTER-III

Preparation of soil and water conservation plan

**Preparation
of soil and
water
conservation
plan**

9. (1) The Zila Samiti may, and if so directed by the State Government shall, resolve that soil and water conservation be undertaken in the district or any part thereof.

(2) On the resolution of the Zila Samiti under sub-section (1), the Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall prepare a draft plan setting out:-

- (a) the extent and details of the area to be covered by the plan ;
- (b) the details about the proposed work ;
- (c) the programme for the execution of the plan ;
- (d) work to be carried out by a beneficiary at his own cost ;
- (e) the ways and means for the execution of the plan, in which the available government grant-in-aid shall also be taken into consideration ;
- (f) the agency or agencies through which the work shall be executed ; and
- (g) such other particulars as may be prescribed.

(3) In imposing liability on a beneficiary to carry out a work at his own cost, the benefits or likely benefits to his land from that work shall be taken into consideration.

**Consideration
and approval
of the plan**

10. (1) The draft plan shall be placed before the Zila Samiti which shall consider the same and order its publication under sub-sections (2) and (3).

(2) Upon the publication being ordered by the Zila Samiti, the Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall prepare a notice in the prescribed form stating at what place and time the plan shall be open to inspection by the public free of charge. The notice shall be published by affixation at the offices of the Collector Bhoomi Sanrakshan Adhikari, Tahsildar and Block Development Officers. It shall also be published by beat or drum in the village or villages to which the draft plan relates.

(3) A copy of the draft plan shall be sent to the Krishi Evam Utpadan Samiti of the Khand in which the work is to be carried out. The Samiti shall consider the plan in a special meeting to be called for the purpose and may, within thirty days of the receipt by it of the draft plan, make such objections in writing to the Bhoomi Sanrakshan Adhikari as it may deem necessary.

(4) On publication of the notice under sub-section (2) any person likely to be affected by the plan may, within thirty days from the date of publication by beat or drum, make objections in writing to the Zila Bhoomi Sanrakshan Adhikari.

(5) If no objection is made under the foregoing provisions within the time allowed, the plan as published shall become final.

(6) If an objection is made under sub-section (3) or sub-section (4) within the time allowed thereof the Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall hear the same in the prescribed manner and submit his report together with the objections to the Zila Samiti.

(7) After considering the objections and report submitted under sub-section (6) and any further report which it may require the Bhoomi Sanrakshan Adhikari to submit, the Zila Samiti may approve the plan with or without any modification and the plan so approved shall become final.

Technical aspect of the plan.

11. (1) The Director or his appointee shall be present at every meeting of the Zila Samiti in which an objection to a draft plan is under consideration.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (7) of section 10, no modification affecting the technical aspect of the draft plan shall be made by the Zila Samiti without the concurrence of the Director or his appointee.

(3) Whether a modification affects the technical aspect of the draft plan or not shall be decided by the Chairman of the Zila Samiti.

Publication of the Plan.

12. After the plan has become final, the Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall publish, in the prescribed manner, a general notice intimating that the plan has become final and may be inspected by the public free of charge at the place mentioned in the notice.

Subsequent changes and correction of errors in the plan.

13. Notwithstanding anything contained in section 10—

(i) the Director may make such minor changes in the plan as are at any stage necessitated by the changes that may occur in the land due to any unforeseen circumstances :

Provided that no such change shall be made to the prejudice of any beneficiary without allowing him an opportunity of being heard ;

(ii) the Bhoomi Sanrakshan Adhikari may, if satisfied that a clerical or arithmetical error exists in the plan, correct the same in the prescribed manner, either on his motion or on the application of an interested person.

CHAPTER-IV

Taking temporary possession of land and payment of compensation

Order for taking temporary possession of land.

14. (1) If the Collector is satisfied that for the purposes of executing a plan it is necessary that temporary possession of any land should be taken, he may, by order, direct the Bhoomi Sanrakshan Adhikari to take temporary possession thereof for such period, not exceeding five years, as may be specified in the order.

(2) the Collector may, by order, extend, from time to time, the period of temporary possession so, however, that the total period of temporary possession shall in no case exceed ten years in all.

Explanation—For the purposes of this section “land” does not include any land covered by a building of permanent character.

**Taking
possession of
land.**

15. The Bhoomi Sanrakshan Adhikari or any other officer authorized by him in this behalf shall in pursuance of the order under section 14 take temporary possession of the land :

Provided that possession shall not be taken without notifying in the prescribed manner the date and intention of taking possession at least fifteen days prior to such date.

**Compensation
for period of
possession.**

16. (1) As soon as may be after the date of taking possession of the land, the Collector shall make an inquiry and determine the compensation payable for every year or part of the year during which the land remains under such temporary possession and also the person entitled thereto.

(2) For the purpose of determining compensation and the person entitled there to, the Collector shall issue a general notice in the prescribed form and manner requiring persons concerned to file their claims in the prescribed manner by the date fixed in the notice.

Provided that the Collector may, for reasons to be recorded, extend such date.

(3) The collector shall also fix a date for hearing of the claims and shall on that date, or in case of the hearing being adjourned to any other date on such other date, hear all the evidence that may be produced by a claimant and he may take such other evidence as he considers necessary.

**Act no. V of
1908.**

(4) For the purpose of determining the compensation and the persons entitled thereto, the collector shall have the same powers as are vested in a court under the code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters namely—

(a) enforcing attendance of any person and examining a person on oath or affirmation ;

(b) issuing commission for examination of any witness or for local investigation ;

(c) compelling production of any document ;

(d) passing such interim orders as may be necessary in the ends of justice.

(5) In determining the compensation regard shall be had to—

(a) the average net annual income from the land derived during the three years immediately preceding the date of temporary possession being taken and in the case of land having no such income, the average net annual income, if any, from similar land in the locality derived during that period ;

(b) the damage, if any, sustained by the person as a result of dispossession ;

(c) the damage, if any, caused or likely to be caused to the land ; and

(d) such other factors as may appear to the Collector to be relevant for the purposes of such determination.

(6) Any person aggrieved by a determination made under sub-section (1) may, within thirty days from the date of such determination, file an appeal before the Commissioner, who may pass such orders thereon as he deems fit.

(7) The Commissioner may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that there was sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(8) The compensation so determined shall be paid in cash in yearly installments to the person found entitled thereto under this section and such payment shall be a final and full discharge of the State Government and its officers from all liability to pay compensation for the period covered by the payment, but shall not prejudice the right of any other person to compensation which he may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom payment has been made under this Act.

**Restoration
of possession**

17. (1) When the temporary possession has to be removed from the land and in any case before the expiry of the period fixed for temporary possession, the Collector shall, after making inquiry in the prescribed manner, by order in writing—

(a) determine the person to whom the possession is to be restored; and

(b) declare that possession of the land shall be restored to him on such date as may be specified in the order.

(2) On the date specified in the said order possession of the land shall be deemed to have been delivered to the person mentioned therein.

(3) The delivery of possession under sub-section (2) shall be a final and full discharge of the State Government and its officers from all liabilities in respect of such delivery but shall not prejudice any right in respect of the land which any other person may be entitled, by due process of law, to enforce against the person to whom the possession of the land has been so delivered.

CHAPTER-V

Execution of the plan

**Directions to
execute
work.**

18. (1) The Bhoomi Sanrakshan Adhikari may, by notice, require any beneficiary to carry out at his own cost any work which under this plan is to be carried out by the beneficiary at his own cost, in the manner and within the period mentioned in the notice.

(2) Where a beneficiary intimates in writing to the Bhoomi Sanrakshan Adhikari that he is unable to carry out the work within the time aforesaid or if the work is not carried out to the satisfaction of the Bhoomi Sanrakshan Adhikari by the date fixed in that behalf or within such further time as he may allow, the Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall get the work carried out and, subject to the provisions prescribed in this behalf, recover the expenses incurred from the beneficiary as arrears of land revenue.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2) where the Collector is of the view that it will be in the interest of the general public to have a work carried out by the Bhoomi Sanrakshan Adhikari, he may direct the said officer to carry out the work and the costs of such work shall, subject to the provisions prescribed in this behalf, be recovered by the Bhoomi Sanrakshan Adhikari as arrears of land revenue from the beneficiary or from the beneficiaries in such proportion, as the Collector may fix after taking into consideration the benefits or likely benefits to the land of each beneficiary from that work and other relevant matters.

(4) If the costs are not paid by the beneficiary or beneficiaries within the prescribed time, such beneficiary or beneficiaries shall also be liable to pay such interest thereon as may be prescribed.

Bhoomi Sanrakshan Adhikari to make progress report.

19. (1) The Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall report to the Zila Samiti in such form and at such intervals, as may be prescribed, the progress made in the execution of plans.

(2) A copy of the progress report shall also be forwarded to the Director of Agriculture or his appointee.

(3) the Director shall submit a quarterly report on the progress of the plans to the Board.

Entry of rights and liabilities in revenue records.

20. The Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall on completion of the work under a plan, prepare a statement in the prescribed form showing therein the rights and liabilities of the beneficiaries and shall forward the statement to the Collector who shall on the basis of the statement get the entries made in the relevant village records and maps maintained by the Revenue Department.

Discharge of liabilities.

21. (1) It shall be the duty of the beneficiary—

(a) to maintain and keep in repair at his cost a work as required by the plan; and

(b) to discharge other liabilities imposed upon him under the plan.

(2) Where a beneficiary fails to maintain or repair the work or discharge a liabilities as required by sub-section (1) the Collector may cause the work to be maintained or repaired and liability to be discharged and shall recover from the beneficiary as arrears of land revenue, the cost of such maintenance repair or discharge.

CHAPTER-VI

Preventive action and penalties

Prevention of action prejudicial to soil and water conservation.

22. (1) Any person who does any act on any land which is prejudicial to the interest of soil and water conservation shall be given notice by the Collector to show cause as to why orders prohibiting him from doing that act should not be passed.

(2) On receipt of such notice the person shall suspend the act and the same shall remain suspended till notice is discharged.

(3) The person on whom the notice is served may, within thirty days of its receipt file objection before the Collector.

(4) The Collector shall dispose of the objections after allowing the objector an opportunity of being heard. In case the objection is allowed, the Collector shall discharge the notice. Otherwise he shall pass an order prohibiting the person from doing the act.

(5) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (4) may, within thirty days of the order file an appeal before the Commissioner of the division whose decision thereon shall be final.

Penalties

23. Any person who without proper authority damages or obstructs any work under a plan or contravenes any of the provisions of this Act or any rule or order made thereunder, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a period not exceeding three months or to a fine not exceeding Rs. 500 or to both and where the offence is a continuing one to further fine which shall not be less than Rs. 25 for every day during which the offence continues after the date of the first conviction.

CHAPTER-VII

Miscellaneous

Proceedings under the Act.

24. A proceeding under this Act before a Bhoomi Sanrakshan Adhikari or a Collector or a Commissioner shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and also for the purposes of section 196 of the said Code.

Vacancy or defect in constitution not to invalidate proceeding

25. No act or proceeding of the Board or a Zila Samiti shall be invalid by reason merely of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Board or the Zila Samiti.

Decision by majority.

26. If there is a difference of opinion amongst the members of the Board or a Zila Samiti regarding any question the decision of the majority of the members present and voting shall prevail and in case of equality of votes, the Chairman of the Board or the Zila Samiti, as the case may be shall also have a casting vote.

Power to enter, etc.

27. For the purposes of preparation or execution of a plan or repairing or maintaining any work under a plan, the Bhoomi Sanrakshan Adhikari and any person generally or specially authorized by him in this behalf may enter upon, survey and mark out any land and do all acts necessary for such purposes.

Registration of documents. Act no. XVI of 1908.

28. Nothing in the Indian Registration Act, 1908 shall be deemed to require the registration of any document or map forming part of a plan prepared under this Act.

Public access to documents and maps.

29. Subject to the rules made in this respect, public shall have access to all documents and maps pertaining to a plan and copies thereof shall be furnished to any person applying on payment of the prescribed fee.

**Determinations
and orders to
be final**

30. Save as otherwise provided by or under this Act, any determination or order made in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be final and shall not be questioned in any court of law.

**Suit or legal
proceeding not
to lie for acts
done in good
faith.**

31. No suit or legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any provisions of his Act or of any rule or order made thereunder.

**Provisions of
this Act to
prevail**

32. The provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

**Power to make
rules.**

33. (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the procedure for and the manner of declaring a person to be a beneficiary ;

(b) matters relating to the establishment and constitution of the Board and Zila Samitis;

(c) the procedure (including quorum) for the conduct of business by the Board and Zila Samitis;

(d) appointment and functions of Bhoomi Sanrakshan Adhikari and allocation of business to Bhoomi Sanrakshan Adhikari in the same district;

(e) the particulars to be set out in the draft plan;

(f) the manner of notifying the intention and date of taking temporary possession;

(g) the manner of inquiry for determining compensation; payable for the land of which temporary possession has been taken and the persons entitled thereto ;

(h) the time within which the costs of work carried out by the Bhoomi Sanrakshan Adhikari shall be paid by the beneficiary and the interest on such costs;

(i) the form at which and the intervals at which progress report shall be submitted by a Bhoomi Sanrakshan Adhikari ;

(j) the form of statement of rights and liabilities of the beneficiaries;

(k) the statements, returns, registers and other records required to be maintained by or under this Act;

(l) the form and manner of service or publication of notices under this Act or the rules made thereunder ;

(m) filing and disposal of objections and appeals under this Act and the procedure to be followed in regard thereto ;

(n) the duties of any officer or authority having jurisdiction under this act the procedure to be followed by such officer or authority ; and

(o) other matters which are to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two House of the Legislative may agree to make ; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity if anything previously done there under.

**Repeal of
U. P. Act
no. XI of
1954**

34. (1) The Uttar Pradesh Soil Conservation Act, 1954 is hereby repealed.

(2) A plan confirmed under section 15 of the said Act shall be deemed to be a plan which has become final under this Act and a general notice thereof shall be published as required by section 12. A plan prepared under the former Act and not so confirmed shall be deemed to be a draft plan prepared under section 9 of this Act and shall be proceeded with accordingly.

**Removal of
difficulties**

35. (1) Where any difficulty arises in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh Soil Conservation Act, 1954, to the provisions of this Act, the State Government may, for the purpose of facilitating such transition, direct, by an order notified in the Gazette that the provisions of this Act shall, for a limited period specified in the order, have effect subject to such modifications, as may be so specified.

(2) No order shall be made under this section after the expiration of two years from the date of commencement of this Act.

(3) An order made under this section shall be laid before both the Houses of the Legislature, as soon as may be after it is made.

FIRST SCHEDULE

[See Section 1(2)]

Sl. No.	Names of the districts	Sl. No	Names of the districts
1	Agra.	9	Sultanpur.
2	Fatehpur.	10	Tehri-Garhwal.
3	Hamirpur.	11	Lucknow.
4	Jalaun.	12	Sitapur.
5	Jhansi.	13	Farrukhabad.
6	Mathura.	14	Allahabad.
7	Mirzapur.	15	Banda.
8	Pratapgarh.	16	Meerut.

SECOND SCHEDULE

[See Section 2 (12)]

Measures Relating To Soil And Water Conservation

1. Measures against wind erosion and water erosion (sheet erosion, gully and ravine formation, bank-cutting and floods), such as:

(a) construction of mends, dauls, and bundhis and planting of munja, sarkanda or other soil-binding grasses or plants thereon;

(b) leveling of the land;

(c) contour cultivation;

(d) prohibition of deep cultivation by tractors in areas subject to erosion;

(e) prohibition from growing row crops;

(f) strip cropping;

(g) growing of quick-maturing leguminous crops and other close growing crops rainy season ;

(h) green maturing and application of bulky organic manures,
e. g. compost, farmyard manure, etc.

(i) retirement of any land from cultivation if its continuance under agriculture is prejudicial to that land or some other land;

(j) control on grazing ;

(k) afforestation or planting of fruit trees or raising of pasture on any land for its protection from erosion or for the protection of any other land;

(l) planting of trees or shrubs to serve as wind-breaks;

(m) control on the felling or lopping of trees or clearance of bushes ;

(n) prevention from breaking of marginal and sub-marginal lands for cultivation purposes.

2. Measures against water-logging and impended drainage such as—

(a) conversion of water-logged areas into ponds;

(b) opening of drainage cuts;

(c) pumping out sub-soil water;

(d) increasing the number of culverts and aqueducts or widening the existing ones along railway, canal or road embankments.

3. Measures for improving bhur (sandy) soils such as;

(a) construction of mends, dauls and bundhis and planting of munja sarkanda or other soil-binding grasses or plants thereon ;

(b) leveling of the land ;

- (c) prohibition of deep cultivation by tractors;
- (d) growing of leguminous crops;
- (e) green manuring and application of bulky organic manure, e. g. compost, farmyard manure, etc.
- (f) control on grazing.

4. Measures for prevention of 'usar' formation and reclamation of 'usar' lands. such as :

- (a) drainage of both surface and sub-soil water where the water-table is high ;
- (b) construction of bundhis and impounding of rain and canal water in places where the water-table is low with a view to washing down the injurious salts ;
- (c) providing drainage cuts where there is water-logging; and
- (d) application of gypsum.

5. Maintenance and repair of works conducive to soil and water conservation, whether these works may have been executed under the plan or otherwise.

6. Such other measures as may be prescribed.

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम, 1963¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1963]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 मार्च 1963 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 10 अप्रैल, 1963 की बैठक में स्वीकृत किया।)

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने 23 मई, 1963 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 मई, 1963 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में भूमि एवं जल साधनों के संरक्षण तथा सुधार सम्बंधी विधि को संशोधित और संहत करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम 1963 कहलायेगा। शीर्ष नाम, और प्रारम्भ

(2) यह प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जिलों² में तुरन्त प्रचलित होगा। शेष जिलों में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए 29 मई, 1963 का उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाये गये जिले—

क्रम सं०	जिले का नाम	सरकारी अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक
1.	आगरा	उ० प्र० भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963— उ. प्र. अधिनियम संख्या 16, 1963
2.	फतेहपुर	
3.	हमीरपुर	
4.	जालौन	
5.	झांसी	
6.	मथुरा	
7.	मिरजापुर	
8.	प्रतापगढ़	
9.	सुल्तानपुर	
10.	टेहरी गढ़वाल	
11.	लखनऊ	
12.	सीतापुर	
13.	फर्रुखाबाद	
14.	इलाहाबाद	
15.	बांदा	
16.	मेरठ	
17.	वाराणसी	सं. एच—4335/ XII बी—1500 1963 दिनांक 2 अगस्त 1963 के अधिसूचना को देखें। अधिनियम में नोट किये गये प्रथम 16 जिलों में डी. एस. जी. ओ. का पद बी० एस० ए० हुआ। संख्या यच—5299/ XII —बी—1489/दिनांकित अगस्त 29, 1963 संख्या यच—334/ XII —बी—1141/ 62 दिनांक 11 मार्च, 1964 संख्या एच—1549/ XII—बी—1489/ 63 दिनांक 15 अप्रैल, 1964.
18.	कानपुर	
19.	उत्तरकाशी	
20.	बुलन्दशहर	
21.	देहरादून	
22.	सहारनपुर	
23.	मुजफ्फरनगर	
24.	इटवा	
25.	उन्नाव	
26.	गाजीपुर	संख्या एच—4594/ XII —बी— दिनांक 22 सितम्बर, 1964
27.	आजमगढ़	
28.	जौनपुर	
29.	रायबरेली	
30.	अलीगढ़	

2-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

परिभाषाएँ

(1) किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिसे योजना के कार्यान्वयन से लाभ हुआ हो या होने की संभावना हो, "लाभग्राही" का तात्पर्य —

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा धृत भूमि के संबंध में, उस भूमिधर या सीरदार से है;

और

(ख) किसी अन्य संबंध में, भूमि के ऐसे स्वामी, धारक या अध्यासी से है जिसे भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि में उसके हित के प्रकार और योजना के कार्यान्वय से भूमि को हुए या संभावित लाभों को दृष्टि में रखकर, नियत रीति से लाभग्राही घोषित करे और उसके अन्तर्गत लाभग्राही के हित-उत्तराधिकारी भी है;

(2) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;

(3) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भूमि एवं जल-संरक्षण बोर्ड से है;

(4) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है;

(5) सिवाय धारा 6 के प्रयोजनों के लिए, "कलेक्टर" के अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है;

(6) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त भी है;

(7) "निदेशक" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, से है और इसके अन्तर्गत अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, भी है ;

(8) "खण्ड" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट किया जाये; **उ० प्र० अधि० सं० 33, 1961**

पिछले पृष्ठ से जारी.....

क्रम सं०	जिले का नाम	सरकारी अधिसूचना की संख्या एवं दिनांक
31.	मैनपुरी	
32.	देवरिया	संख्या एच—1476/ XII —बी—1500/63 दिनांक 25 मई, 1967.
33.	गोरखपुर	
34.	बस्ती	संख्या एच—4594/ XII —बी— दिनांक 22 सितम्बर, 1964
35.	गोंडा	
36.	बहराइच	
37.	फैजाबाद	
38.	पौड़ी गढ़वाल	
39.	बलिया	संख्या एच—317/ XII —बी—1500/1963 दिनांक 21 मार्च, 1967
40.	बाराबंकी	
41.	आल्मोड़ा	
42.	एटा	संख्या एच—3636/ XII —बी—1500/1963 दिनांक 27 नवम्बर, 1968
43.	मुरादाबाद	
44.	बरेली	
45.	बिजनौर	
46.	रामपुर	
47.	शाहजहाँपुर	
48.	चमोली	
49.	नैनीताल	
50.	पीलीभीत	संख्या एच—5885/ XII —बी—1228/69 दिनांक 29 दिसम्बर 1971
51.	बदायूँ	
52.	हरदोई	
53.	लखीमपुर खीरी	
54.	पिथौरागढ़	

- (9) "योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई योजना से है ;
- (10) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;
- (11) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;
- (12) "भूमि एवं जल-संरक्षण" का तात्पर्य भूमि एवं जल साधनों के उद्धार, अनुरक्षण तथा सुधार से है और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक उपाय इसके अन्तर्गत है ;
- (13) "सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है ;
- (14) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;
- (15) "कार्य" का तात्पर्य योजना के अधीन किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित या लगाया गया पशुचर अथवा वन भी है
- (16) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित जिला भूमि एवं जल-संरक्षण समिति से है ;
- (17) पद "भूमिधर" और "सीरदार" के वही अर्थ होंगे जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं;

1951 ई० का
उ० प्र० अधिनियम
संख्या 1

अध्याय-2

प्रशासन तंत्र

3-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, राज्य के लिए एक भूमि एवं जल-संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।

बोर्ड की स्थापना
और उसका संघटन

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री, जो सभापति भी होंगे ;

(ख) उप-मंत्रियों और सभासदों में से तीन से अनधिक जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ग) राज्य सरकार के कृषि विभाग के सचिव ;

(घ) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, जो सचिव भी होंगे;

(ङ) विधान-सभा के चार सदस्य और विधान परिषद् के दो सदस्य, जिन्हें, यथा स्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् चुनेगी ;

(च) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(6) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें खण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित सदस्य अनुमेलित करेंगे।

4-(1) धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

सदस्यों का कार्य
काल

(2) यदि कोई सदस्य उस पद पर न रहे जिसके कारण यह बोर्ड की सदस्यता का पात्र हुआ हो, तो वह सदस्य न रहेगा।

5-बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

बोर्ड के कृत्य

(क) भूमि एवं जल-संरक्षण के लिये नीतियां निर्धारित करना;

(ख) योजनाओं के अन्तर्गत कार्य के समन्वय के और उनके संबंध में कठिनाईयां दूर करने के उपाय और साधन निकालना ;

(ग) योजनाओं के अन्तर्गत की गई प्रगति की समीक्षा करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

6-(1) प्रत्येक जिले के लिये नियत रीति से एक जिला भूमि एवं जल-संरक्षण समिति स्थापित की जायेगी।

जिला समितियों की
स्थापना और उनका
संघटन

(2) जिला समिति में निम्नलिखित होंगे:-

- (क) कलेक्टर, जो उसका सभापति भी होगा ;
- (ख) अंतरिक जिला परिषद् या जिला परिषद् का अध्यक्ष ;
- (ग) विधान सभा के सदस्य जिनके निर्वाचन-क्षेत्र में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो;
- (घ) जिले में नियोजन विभाग के कार्य का प्रभारी अधिकारी ;
- (ङ) जिला कृषि अधिकारी ;
- (च) भूमि संरक्षण अधिकारी, जो जिला समिति का सचिव भी होगा;
- (छ) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता;
- (ज) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्रभागीय वन अधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफिसर्स) ;
- (झ) जिले के क्षेत्र समितियों के प्रमुख, और
- (ञ) कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाने वाला एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति जो भूमि एवं जल-संरक्षण में अभिरुचि रखता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि विधान सभा के सदस्य, अधिशासी अभियन्ता, प्रभागीय वन अधिकारी या प्रमुख को जिला समिति को केवल उस कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा जिनका सम्बन्ध, यथास्थिति, किसी ऐसे क्षेत्र की योजना से हों, जिससे वह उक्त सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो या जिस पर वह उक्त अभियन्ता, अधिकारी या प्रमुख के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

(3) जिला समिति की सदस्यता या उसकी किसी कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित किसी विवाद का निर्णय उसके सभापति द्वारा किया जायेगा जिसका उस विषय में निर्णय अंतिम होगा।

7-जिला समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

जिला समिति के
कृत्य

- (क) भूमि एवं जल-संरक्षण कार्य में लोगों को शिक्षित करने के लिये कार्यवाही करना;
- (ख) जिले या उसके किसी भाग का सर्वेक्षण करने, आधार सामग्री एकत्र करने तथा योजनाएं तैयार करने और तत्संबंधी आनुषंगिक कृत्यों का सम्पादन करने के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी को निदेश देना ;
- (ग) इस प्रकार तैयार की गयी योजनाओं पर विचार और उनका अनुमोदन करना;
- (घ) योजनाओं के यथोचित कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करना और तदधीन कार्य की प्रगति देखते रहना ;
- (ङ) योजनाओं का दक्षतापूर्ण कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार से सिफारिश करना ;
- (च) योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये निदेशों का पालन करना ; और
- (छ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

8-(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये एक भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी: **भूमि संरक्षण अधिकारी**

प्रतिबन्ध यह है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जिलों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या एक ही जिले में एक से अधिक व्यक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

(2) भूमि संरक्षण अधिकारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

अध्याय-3

भूमि एवं जल-संरक्षण योजना तैयार करना

9-(1) जिला समिति यह संकल्प कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का निदेश दिया जाये तो वह अवश्य ऐसा संकल्प करेगी, कि जिले या उसके किसी भाग में भूमि एवं जल-संरक्षण का कार्य हाथ में लिया जायं। **भूमि एवं जल संरक्षण योजना तैयार करना**

(2) उपधारा (1) के अधीन जिला समिति के संकल्प पर भूमि संरक्षण अधिकारी एक प्रारूप योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी:-

- (क) योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार और उसके ब्यौरे;
- (ख) प्रस्तावित कार्य के ब्यौरे;
- (ग) योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम ;
- (घ) कार्य जो किसी लाभग्राही द्वारा अपने व्यय से किया जायेगा ;
- (ङ) योजना के कार्यान्वयन के उपाय और साधन; जिनमें प्राप्य सरकारी अनुदान का भी ध्यान रखा जायेगा ;
- (च) अभिकरण, जिसके या जिनके द्वारा कार्य किया जायेगा ; और
- (छ) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जाय ।

(3) किसी कार्य को अपने व्यय से करने का उत्तरदायित्व लाभग्राही पर डालने में उस कार्य से उसकी भूमि को होने वाले या संभावित लोगों का ध्यान रखा जायेगा

10-(1) प्रारूप योजना जिला समिति के समक्ष रखी जायेगी जो उस पर विचार करेगी और उपधारा (2) तथा (3) के अधीन उसे प्रकाशित करने की आज्ञा देगी।

योजना पर विचार और उसका अनुमोदन

(2) जिला समिति द्वारा प्रकाशन की आज्ञा दी जाने पर, भूमि संरक्षण अधिकारी नियत प्रपत्र में एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि योजना कहां और किस समय सर्वसाधारण द्वारा निःशुल्क देखी जा सकती है। नोटिस का प्रकाशन कलेक्टर, भूमि संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार और खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालयों में चिपका कर किया जायेगा। वह उस गांव या उन गांवों में जिनके संबंध में प्रारूप योजना हो, डुंगी पिटवा कर भी प्रकाशित किया जायेगा।

(3) प्रारूप योजना की एक प्रति उस खण्ड की कृषि एवं उत्पादन समिति को भेजी जायेगी जिसमें कार्य किया जायेगा। समिति एक विशेष बैठक में, जो उक्त प्रयोजन के लिये बुलायी जाये, योजना पर विचार करेगी और प्रारूप योजना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में ऐसी आपत्तियां भेज सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशित होने पर कोई भी व्यक्ति जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, डुंगी पीटकर प्रकाशन किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में आपत्तियां भेज सकता है।

(5) यदि अनुमत समय के भीतर उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आपत्ति न की जायें, तो यथाप्रकाशित योजना अन्तिम हो जायेगी।

(6) यदि अनुमत समय के भीतर उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई आपत्ति की जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी नियत रीति से उसकी सुनवाई करेगा और आपत्तियों सहित अपना प्रतिवेदन जिला सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(7) आपत्तियों और उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन पर तथा किसी अन्य ऐसे प्रतिवेदन पर जिसके भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की वह अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् जिला समिति योजना को परिष्कार सहित या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है और इस प्रकार अनुमोदित योजना अन्तिम हो जायेगी।

11—(1) निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिला समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक में उपस्थित रहेगा जिसमें प्रारूप योजना के संबंध में आपत्ति विचाराधीन हो।

योजना का
प्राविधिक पहलू

(2) धारा 10 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, जिला समिति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना कोई ऐसा परिष्कार न करेगी जिससे कि प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर कोई प्रभाव पड़े।

(3) किसी परिष्कार से प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय जिला समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा।

12—योजना के अंतिम हो जाने के पश्चात्, भूमि-संरक्षण अधिकारी, नियत रीति से एक सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें यह सूचना दी जायेगी कि योजना अंतिम हो गयी है और नोटिस में उल्लिखित स्थान पर सर्वसाधारण द्वारा वह निःशुल्क देखी जा सकती है।

योजना का प्रकाशन

13—धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी—

(1) निदेशक, योजना में ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकता है जो किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भूमि में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी भी समय आवश्यक हो जायें:

योजना में अनुवर्ती
परिवर्तन तथा भूल
सुधार

प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसा परिवर्तन जो किसी लाभग्राही के प्रतिकूल हो, उसे सुनवायी का अवसर दिये बिना व किया जायेगा।

(2) यदि भूमि संरक्षण अधिकारी का समाधान हो जाय कि योजना में कोई लिपिक या गणना संबंधी भूल है तो वह उसे, स्वतः अथवा हित रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र देने पर, नियत रीति से सुधार कर सकता है।

अध्याय-4

भूमि पर अस्थायी कब्जा करना और प्रतिकर का भुगतान

14—(1) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाये कि योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि किसी भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लिया जाये तो वह आज्ञा द्वारा, भूमि संरक्षण अधिकारी को पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाये, उस भूमि पर अस्थायी कब्जा करने का निदेश दे सकता है।

भूमि पर अस्थायी
कब्जा करने के
लिए आज्ञा

(2) कलेक्टर, आज्ञा द्वारा समय-समय पर अस्थायी कब्जे की अवधि बढ़ा सकता है किन्तु अस्थायी कब्जे की अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक की न होगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ “भूमि” के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस पर कोई स्थायी प्रकार का भवन हो।

15-भूमि संरक्षण अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी धारा 14 के अधीन आज्ञा के अनुसरण में भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लेगा :

भूमि पर कब्जा करना

प्रतिबन्ध यह है कि कब्जा करने के दिनांक तथा अभिप्राय को, उक्त दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व नियत रीति से विज्ञापित किये बिना कब्जा न किया जायेगा।

16-(1) भूमि पर कब्जा करने के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, कलेक्टर जांच करेगा और प्रत्येक ऐसे वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, जिसमें भूमि उक्त अस्थायी कब्जे में रहे, देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्ति का अवधारण करेगा।

कब्जे की अवधि का प्रतिकर

(2) प्रतिकर एवं उनके पाने के हकदार व्यक्ति के अवधारण के प्रयोजन से कलेक्टर नियत रीति से एवं नियत प्रपत्र में एक सामान्य नोटिस जारी करेगा जिसमें सम्बद्ध व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने दावे नोटिस में निश्चित दिनांक तक तथा नियत रीति से प्रस्तुत करें :

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर कारण अभिलिखित करके उक्त दिनांक को आगे के लिये बढ़ा सकता है।

(3) कलेक्टर दावों की सुनवाई के लिये एक दिनांक भी निश्चित करेगा और उस दिनांक पर, या यदि सुनवाई किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित हो जाये तो उसे अन्य दिनांक पर वह ऐसा सब साक्ष्य सुनेगा जो किसी दावेदार के द्वारा प्रस्तुत किया जाये तथा वह अन्य साक्ष्य भी ले सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(4) प्रतिकर एवं उसके पाने के हकदार व्यक्तियों के अवधारण के लिये कलेक्टर को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908, के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

अधिनियम संख्या 5, 1908

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना अथवा किसी का शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर बयान लेना,

(ख) किसी साक्षी का बयान लेने के लिये अथवा स्थानीय जांच के लिये कमीशन जारी करना;

(ग) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ;

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों।

(5) प्रतिकर का अवधारण करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा :—

(क) अस्थायी कब्जा किये जाने के दिनांक से ठीक तीन वर्ष पूर्व की अवधि में भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय और उस भूमि के विषय में जिसकी कोई ऐसी आय न हो उक्त अवधि में, उस स्थान की उसी प्रकार की अन्य भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो;

(ख) कब्जा-च्युत किये जाने के परिणामस्वरूप व्यक्ति को हुई क्षति, यदि कोई हो ;

(ग) भूमि को हुई या संभावित क्षति, यदि कोई हो ; और

(घ) ऐसी अन्य बातें जो कलेक्टर को उक्त अवधारण के प्रयोजनों के लिये संगत प्रतीत हों।

(6) उपधारा (1) के अधीन किये गये अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है, जो उस पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(7) यदि आयुक्त का समाधान हो जाये कि तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न किये जाने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(8) इस प्रकार अवधारित प्रतिकर का भुगतान उस व्यक्ति को वार्षिक किस्तों के रूप में नगदी में किया जायेगा जो इस धारा के अधीन उसका हकदार पाया जाये और ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी उस अवधि के प्रतिकर के सम्पूर्ण दायित्व से अन्तिम तथा पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो जायेंगे जिसके संबंध में भुगतान किया गया हो; किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिकर पाने के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि-प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे इस अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

17—(1) जब भूमि से अस्थायी कब्जा हटाना हो, और किसी भी दशा में अस्थायी कब्जे के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व, कलेक्टर, नियत रीति से जांच करने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा—

कब्जे की वापसी

(क) यह अवधारित करेगा कि किस व्यक्ति को कब्जा वापस करना है; और

(ख) यह घोषित करेगा कि उसे भूमि का कब्जा उस दिनांक को वापस किया जायेगा, जो आज्ञा निर्दिष्ट किया गया हो।

(2) उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक को भूमि का कब्जा उसमें उल्लिखित व्यक्ति को दिया गया समझा जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन कब्जा दिये जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी कब्जा वापस करने के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से अन्तिम तथा पूर्णरूप से उन्मुक्त हो जायेंगे किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के भूमि संबंधी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे भूमि का इस प्रकार कब्जा दिया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

अध्याय—5

योजना का कार्यान्वयन

18—(1) भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस द्वारा किसी लाभग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी ऐसे कार्य को जो योजना के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा अपने व्यय से किया जाना है, नोटिस में उल्लिखित रीति से और (उसमें उल्लिखित) अवधि के भीतर अपने व्यय से करे।

कार्य निष्पादित करने के लिये निदेश

(2) यदि लाभग्राही भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित करे कि वह कार्य को उपयुक्त समय के भीतर करने में असमर्थ है, या यदि कार्य तदर्थ निश्चित दिनांक तक या ऐसे और समय के भीतर, जिसकी भूमि संरक्षण अधिकारी अनुमति दे, उक्त अधिकारी के संतोषानुसार न किया जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी उस कार्य को करा लेगा और किये गये व्यय को तदर्थ नियत उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि किसी कार्य को भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा करवा लेना जनसाधारण के हित में होगा तो वह उस कार्य को करने का उक्त अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस कार्य का व्यय, भूमि संरक्षण अधिकारी तदर्थ नियत उपबंधों के अधीन रहते हुये लाभग्राही से, या लाभग्राहियों से ऐसे अनुपात में जो कलेक्टर उस कार्य से प्रत्येक लाभग्राही की भूमि को होने वाले लाभ तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करे, मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

(4) यदि व्यय का भुगतान लाभग्राही या लाभग्राहियों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उस लाभग्राही या उन लाभग्राहियों पर उस पर ऐसा ब्याज देने का भी उत्तरदायित्व होगा जो नियत किया जाये।

19—(1) भूमि संरक्षण अधिकारी, ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, जिला समिति को योजनाओं के निष्पादन में हुई प्रगति का प्रतिवेदन देगा।

भूमि संरक्षण अधिकारी का प्रगति प्रतिवेदन देना

(2) प्रगति के प्रतिवेदन को एक प्रति कृषि निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को भी भेजी जायेगी।

(3) निदेशक, योजनाओं की प्रगति पर बोर्ड को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

20—भूमि संरक्षण अधिकारी योजना के अंतर्गत कार्य पूरा हो जाने पर नियत आकार में एक विवरण तैयार करेगा जिसमें वह लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों को दिखायेगा और उसे कलेक्टर को भेज देगा जो विवरण—पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा रखे गये संगत ग्राम अभिलेखों तथा नक्शों में प्रविष्टि करायेगा।

राजस्व अभिलेखों में अधिकारों और दायित्वों की प्रविष्टि

21—(1) लाभग्राही का यह कर्तव्य होगा कि वह—

दायित्वों का निर्वहन

(क) किसी कार्य का अनुरक्षण तथा उसकी मरम्मत योजना की समयानुसार अपने व्यय से करे, और

(ख) योजना के अन्तर्गत आरोपित अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन करे।

(2) यदि लाभग्राही उपधारा (1) के अपेक्षानुसार कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन न करे तो कलेक्टर कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन करा सकता है और वह ऐसे अनुरक्षण, मरम्मत या निर्वहन का व्यय लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

अध्याय—6

निवारक कार्यवाही और शास्तियां

22—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कोई ऐसा कार्य करे जो भूमि एवं जल संरक्षण के हित के प्रतिकूल हो, तो कलेक्टर उसे इस बात का कारण बताने के लिये नोटिस देगा कि उसे उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा क्यों न दी जाये।

भूमि एवं जल संरक्षण के प्रतिकूल कार्यवाही का निवारण

(2) नोटिस के प्राप्त होने पर उक्त व्यक्ति उस कार्य को रोक देगा तथा कार्य तब तक रुका रहेगा जब तक कि उक्त नोटिस रद्द न कर दिया जाये।

(3) जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील किया गया हो, वह उसके प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(4) कलेक्टर आपत्तिकर्ता के सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा। यदि आपत्ति मान ली जाये तो कलेक्टर नोटिस को रद्द कर देगा अन्यथा वह उस व्यक्ति को उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने को आज्ञा देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

23-यदि कोई व्यक्ति बिना सम्यक् प्राधिकार के योजना के अन्तर्गत किसी कार्य को क्षति पहुंचाये या उसमें रुकावट डाले अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करे, वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर तीन मास से अनधिक अवधि के कारावास अथवा पांच सौ रुपये से अनधिक अर्थ दण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष-सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध जारी रहे 25 रुपये से कम न होगा।

शास्तियां

अध्याय-7

विविध

24-भूमि संरक्षण अधिकारी या कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही, इण्डियन पीनल कोड की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा 196 के प्रयोजनों के लिये भी न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां

25-बोर्ड या जिला समिति में कोई रिक्ति होने या उसके संघटन में कोई दोष होने के कारण ही बोर्ड या जिला समिति का कोई कार्य या कार्यवाही अवैध न होगी।

रिक्त होने अथवा संघटन में दोष होने के कारण कार्यवाही का अवैध न होना

26-यदि बोर्ड या जिला समिति के सदस्यों में किसी प्रश्न के संबंध में मतभेद हो तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, यथास्थिति बोर्ड या जिला समिति के सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा।

बहुमत द्वारा निर्णय

27-योजना को तैयार करने या उसके कार्यान्वयन अथवा योजना के अन्तर्गत किसी कार्य की मरम्मत करने या उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजनों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके द्वारा सामान्यतः या विशिष्ट रूप से तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है और उसे चिन्हांकित कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी काम कर सकता है।

प्रवेश करने आदि का अधिकार

28-इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि किसी ऐसे लेख्य या नक्शे का निबंधन अपेक्षित है, जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना का भाग है।

लेख्यों का निबंधन ऐक्ट सं० 16, 1908

29-इस संबंध में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये जनसाधारण योजना से संबंधित सभी लेख्यों और नक्शों को देख सकेंगे और उसकी प्रतिलिपियां किसी व्यक्ति को जो प्रार्थना करे नियत शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी।

लेख्यों और नक्शों का जनता द्वारा देखा जाना

- 30-** इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया कोई अवधारण या दी गयी कोई आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर किसी विधि न्यायलय में आपत्ति न की जायेगी।
- अवधारणों तथा आज्ञाओं का अंतिम होना**
- 31-** इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।
- सद्भावना से किये गये कार्यों के विरुद्ध वाद या विधिक कार्यवाही का निषेध**
- 32-** इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात उनसे असंगत हो।
- इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे**
- 33-(1)** राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है:—
- नियम बनाने का अधिकार**
- (2) पूर्वाक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—
- (क) किसी व्यक्ति की लाभग्राही घोषित करने की प्रक्रिया और उसकी रीति;
- (ख) बोर्ड और जिला समितियों की स्थापना और उसके संघटन से संबंधित विषय;
- (ग) बोर्ड और जिला समितियों द्वारा कार्य-संचालन की प्रक्रिया (जिसमें गणपूर्ति भी है) ;
- (घ) भूमि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्य तथा एक ही जिले में भूमि संरक्षण अधिकारियों के कार्य का विभाजन;
- (ङ) प्रारूप योजना में दिये जाने वाले विवरण ;
- (च) अस्थायी कब्जा लेने के अभिप्राय तथा दिनांक के विज्ञापन की रीति ;
- (छ) ऐसी भूमि के लिए, जिसका अस्थायी कब्जा लिया गया हो देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्तियों का अवधारण करने के निमित्त जांच करने की रीति;
- (ज) समय जिसके भीतर भूमिसंरक्षण अधिकारी द्वारा किये गये कार्य के व्यय का भुगतान लाभग्राही द्वारा किया जायेगा, और ऐसे व्यय पर ब्याज;
- (झ) आकार जिसमें और अन्तराल जिन पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा,
- (ञ) लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों के विवरण का प्रपत्र;
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरण-पत्र, विवरणियां, रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख,
- (ठ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उन्हें प्रकाशित या तामील करने की रीति;
- (ड) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण तथा उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ़) किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य जिसे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त हो और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ण) अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किये जा सकते हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या दकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

34-(1) उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1954 निरस्त किया जाता है।

1954 के उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
11 का निरसन

(2) उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन पुष्टिकृत योजना इस अधिनियम के अधीन अन्तिम हुई योजना समझी जायेगी और उसके लिए धारा 12 की अपेक्षानुसार एक सामान्य नोटिस प्रकाशित किया जायेगा। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी ऐसी योजना जिसे इस प्रकार पुष्ट न किया गया हो, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन तैयार की गयी प्रारूप योजना समझी जायेगी और उसके संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

35-(1) यदि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, ऐसे संक्रमण को सुकर बनाने के लिये, गजट में आज्ञा विज्ञापित करके निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध आज्ञा में निर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए, ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो इस प्रकार निर्दिष्ट किये जायें।

कठिनाइयों को दूर
करना

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन कोई आज्ञा न दी जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा, दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

प्रथम अनुसूची

धारा 1 (2) देखिये

क्रम संख्या	जिलों के नाम	क्रम संख्या	जिलों के नाम
1	आगरा	9	सुल्तानपुर
2	फतेहपुर	10	टेहरी-गढ़वाल
3	हमीरपुर	11	लखनऊ
4	जालौन	12	सीतापुर
5	झांसी	13	फर्रुखाबाद
6	मथुरा	14	इलाहाबाद
7	मिर्जापुर	15	बांदा
8	प्रतापगढ़	16	मेरठ

द्वितीय अनुसूची

[धारा 2 (12) देखिये]

भूमि एवं जल-संरक्षण से सम्बद्ध विषय—

1—वायु द्वारा कटाव और जल द्वारा कटाव (परत कटाव, जलमार्ग और दरारों का बनाना, किनारों का कटाव और बाढ़) के विरोधी उपाय, यथा:

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकण्डा अथवा अन्य भूमिबंधक घासों और पौधों का लगाना;

(ख) भूमि को समतल करना;

(ग) समोच्चरेखीय कृषि ;

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही;

(ङ) विरल फसले उगाने की मनाही ;

(च) पट्टियों में खेती ;

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा अन्य सघन फसल उगाना ;

(ज) हरी खाद देना, और अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों, जैसे कम्पोस्ट फार्मयार्ड मैन्योर (पांस) इत्यादि का प्रयोग,

(झ) भूमि का खेती से विश्राम, यदि उस पर खेती होते रहना उस भूमि के लिए अथवा अन्य भूमि के लिये हानिकार हो;

(ञ) चराई पर नियन्त्रण ;

(ट) किसी भूमि के कटाव से बचाव के लिये अथवा अन्य किसी भूमि के बचाव के लिए उस पर वन लगाना अथवा फलवृक्ष लगाना अथवा पशुचर बनाना;

(ठ) वायु के गतिरोध के लिये वृक्ष या झाड़ियां लगाना;

(ड) वृक्षों को गिराने, या छाटने या झाड़ियां साफ करने पर नियन्त्रण ;

(ढ) कृषीय प्रयोजनों के लिये हीन (marginal)

और अतिहीन (sub-marginal) भूमियों को तोड़ने की मनाही।

2—जल भरने और अवरुद्ध होने के विरोधी उपाय, यथा :

(क) जल भरे क्षेत्रों को पोखर बना देना ;

(ख) जल निकासी की नालियां खोलना ;

(ग) भूमिगत जल को पम्प करके निकालना;

(घ) रेल-पथ, नहर अथवा सड़क के बांध की पुलियों और जलमार्गों की संख्या बढ़ाना अथवा वर्तमान पुलियों इत्यादि को चौड़ा करना ।

3—भूढ़ क्षेत्रों को सुधारने के उपाय, यथा:

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकण्डा अथवा अन्य भूमि बंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) फलीदार फसलें उगाना,

(ङ.) हरी खाद देना और कम्पोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर (पांस) इत्यादि जैसी अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों का प्रयोग,

(च) चराई पर नियंत्रण।

4-ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकने के उपाय, यथा:

(क) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल-तल उच्च हों, ऊपर के तथा भूमि के भीतर के जल का निष्कासन,

(ख) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल-तल नीचा हो हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा नहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जल भरता हो वहां जल निकासी नालियों की व्यवस्था करना, तथा

(घ) सेलखड़ी (जिप्सम) का प्रयोग।

5-भूमि एवं जल संरक्षण की साधक रचनाओं का (works) का अनुरक्षण और उनकी मरम्मत, वह रचना चाहे योजना के अधीन की या बनायी गयी हो, चाहे अन्यथा।

6-अन्य उपाय जो नियत किये जायें।